न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–50/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/183)

1. केशरा पुत्र खेमा.
2. प्रभू पुत्र खेमा **(मृतक दौराने अपील)**
   - 2/1. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि स्व. प्रभू,
   - 2/2. राजू पुत्र प्रभू (फौत),
   - 2/2/1. अनोखी देवी पत्नि स्व. राजूलाल,
   - 2/2/2. विजेन्द्र पुत्र स्व. राजूलाल,
   - 2/2/3. विक्की पुत्र स्व. राजूलाल, समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम धलौज तहसील लालसोट जिला दौसा।
   - 2/2/4. उर्मिला पुत्र स्व. श्री राजूलाल पत्नि बनवारी निवासी ग्राम भैपूर तहसील नांगल जिला दौसा, राजस्थान।
   - 2/3. रोशनलाल पुत्र स्व. प्रभू
   - 2/4. पप्पूलाल पुत्र स्व. प्रभू,
   - 2/5. भगवान सहाय पुत्र स्व. प्रभू,
   - 2/6. शेरसिंह पुत्र स्व. प्रभू,
   - 2/7. नरेन्द्र पुत्र स्व. प्रभू, समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम थलोज तहसील लालसोट जिला दौसा।
   - 2/8. सन्तरा पुत्री स्व. प्रभू पत्नि राधेश्याम निवासी बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मीठालाल पुत्र छोटूलाल जाति मीना निवी ग्राम धूणीधिराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

––रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. **श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 20.03.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 449/110 एवं 450/110 वाके ग्राम थलोज पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दोसा में स्थित है जिसके अपीान्ट्स पृथक–पृथक रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्ट अपनी–अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है लेकिन अपीलान्ट की

P.T.O.

उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि का रकबा मौके पर कम है तथा राजस्व ऐजन्सी द्वारा गलत तरमीम कर खसरा नम्बर 560/17 बनाया गया है जिसके बाबत अपीलान्ट्स ने एक वाद बाबत उद्घोषण स्थायी निषेधाज्ञा व अभिलेख शुद्धि का खसरा नम्बर 560/117 के पूर्व खातेदार प्रकाश चन्द के विरूद्ध उनवानी केशरा व अन्य बनाम प्रकाश चन्द प्रकरण संख्या 95/21 विचाराधीन चल रहा है तथ अपीलान्ट्स खसरा नम्बर 560/117 पर अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोड़ेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट्स को बगैर पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था जो अभी विचाराधीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2023 को प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड की गई एवं तलबी विपक्षी के आदेश कर दिया गये और प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.04.2023 नियत की गई, दिनांक 06.04.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्यो मे व्यस्त होने का अंकन करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.04.2023 नियत की गई लेकिन विपक्षी को नोटिस जारी होने का अंकन पत्रावली पर मौजूद ही नही है अर्थात विपक्षी को कोई नोटिस ही जारी नही किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 26.04.2023 से आगामी पेशी दिनांक 08.05.2023 नियत की गई एवं दिनांक 08.05.2023 से दिनांक 12.05.2023 नियत की गई तथा पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु दिनांक 13.05.2023 नियत कर दिया गया। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से कोई रिपोर्ट नही मंगवायी गई, ना ही रिपोर्ट मंगवाने बाबत कोई आदेश ही आदेशिका पर दिया गया बल्कि तहसीलदार ने बिना मौके जॉच किये ही एवं बिना अपीलान्ट्स को सूचित किये ही एक तरफा रिपोर्ट प्रेषित कर दी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है जो निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि प्रथमतया तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम संधारणीय ही नही था क्योंकि सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष सीमाज्ञान करने हेतु प्रार्थना पत्र देते तथा उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाता था तथा मौके की कार्यवाही कर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की जाती तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना सीमाज्ञान करवाये ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो संधारणीय नही हाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की वास्तविकता की बिना जॉच किये ही एवं अपीलान्ट्स एग्रिव्ड परसन होने के उपरान्त भी अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन

P.T.O.

निर्णय दिनांक 13.05.2023 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 560/117 रकबा 0.6828 हैक्टयर वाके ग्राम थलोज तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी से किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति या संस्था का किसी भी प्रकार से कोई लेना–देना या सरोकार, वास्ता नही है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त कृषि भूमि पर अपने नाम दर्ज के समय से काबिज होकर लगातार कृषि कार्य कर लाभान्वित होता चला आ रहा है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से पडौसी खातेदारान द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आये दिन खाते की सीमाओं को लेकर हैरान व परेशान करते है जिसका उन्हे किसी प्रकार को कोई हक अधिकार हांसिल नही है फिर भी भूमि के पडौसी खातेदारान द्वारा जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने के चलते उसे खुर्द बुर्द करते रहते है जिससे मौके पर शान्ति भंग होने का खतरा बना हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अनेकों बार प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिन पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई, कार्यवाही के लिये निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय से सीमाज्ञान पत्थरगढी का आदेश लाने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कहा गया। इसलिये उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना न्यायार्थ व कानूनी आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट तलब कर एवं प्रकरण का न्यायिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान से विवाद होना अंकित किया है एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही एक वाद अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व अभिलेख शुद्धि का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में बिना समरी जॉच किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2023 पारित किया गया है, जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर व भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पूर्व से विचाराधीन वाद को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।